राजस्थान सरकार
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज, कॉरर्पोरेशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक : ईडी(ए)/आरएमएससी/2011/345 दिनांक :- 4-10-11

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज
समस्त अधीक्षक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एंव अस्पताल,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
समस्त जिला परियोजना समन्चयक (डी.पी.सी.)

विषय :- निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर व्यवस्थाओं के सम्बंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन हेतु राजकीय चिकित्सा संस्थानों में स्थापित निःशुल्क दवा\ वितरण केन्द्रो पर व्यवस्थाओं के सम्बंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैः-

1. **पोशाक** – दवा वितरण केन्द्रो पर कार्यरत स्टाफ – फार्मासिस्ट, डाटा एन्ट्री आपरेटर, हेल्पर आदि सफेद रंग की पोशाक पहनेगें।
2. **परिचय पत्र** – दवा वितरण केन्द्रो पर कार्यरत स्टाफ – फार्मासिस्ट, डाटा एन्ट्री आपरेटर, हेल्पर आदि परिचय पत्र लगाए रखेगें। परिचयपत्र सफेद रंग का होगा जिस पर नीले रंग से कम्प्यूटराईजड छपाई होकर कार्मिक का विवरण अंकित होगा व स्टेम्प साईज फोटो लगेगी तथा कार्ड पहनने के लिए काले रंग की डोरी/स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाएगा।
3. **सुविधाए** –
    1. निःशुल्क दवा वितरण केन्द्रों पर दवा लेने के लिए मरीजों की सख्या बढने के कारण दो खिडकियों के बीच में स्टील/लोहे की रेलिंग लगा कर विभाजन किया जावें।
    2. मरीजो की बढती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए महिला व पुरूषो की अलग–अलग कतार लगायी जाए।
    3. निंःशुल्क दवा वितरण केन्द्रो पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने की दशा में वरिष्ठ नागरिकगण, विकलांग, पेंशनर्स इत्यादि के लिए अलग से खिडकी/कतार लगायी जाए।
    4. दवा लेने वाले मरीजों के लिए दवा वितरण केन्द्र के बाहर छाया की व्यवस्था की जाए तथा अपनी बारी की प्रतिक्षारत मरीजों के बैठने के लिए स्थायी कुर्सियों (Fixed Chairs) की व्यवस्था की जाए।
4. **ओ.पी.डी. समय में आ गये सभी मरीजों को दवा वितरण** :-
    1. चिकित्सक यह पता रखे कि दवा वितरण केन्द्र पर कौनसी दवा उपलब्ध है जिससे वे मरीज को पहले से यह बता सके कि कौनसी दवायें दवा वितरण केन्द्र पर निःशुल्क मिलेगी व कौनसी उसे कम कीमत पर लाईफ लाईन ड्रग स्टोर से मिलेगी।
    2. चिकित्सकों का यह भी दायित्व होगा कि वह जिस भी मरीज नें आउटडोर समय मे पंजीयन कराकर बाहय रोगी उपचार पत्र (OPD Slip) प्राप्त कर लिया है उसकी भी जॉच कर पर्ची पर उपचार लिखें।

3. दवा वितरण केन्द्र के स्टाफ का यह दायित्व होगा कि जिस भी मरीज ने चिकित्सक को दिखा कर बाहय रोग उपचार पत्र पर दवा लिखवाली है उसको आवश्यक रूप से दवा का वितरण करे।

5. **सुमधुर व्यवहार** – मरीजों को दवा देते समय उनसे अच्छा व्यवहार किया जावे तथा मरीज को दवा लेने की प्रक्रिया भी समझाई जाए। यदि दवाई उपलब्ध नही हो तो मरीज को विनम्रतापूर्वक वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए और अस्पताल में स्थित लाईफलाईन ड्रग स्टोर से कम कीमत में दवा खरीदने का आग्रह किया जाए।

6. **कम्प्यूटर इन्वेन्टरी मेनेजमेंट** के लिए साफ्टवेयर मेल किया जा चुका है जिसकी प्रति rmsc@nic.in पर उपलब्ध है वहाँ से देख ले तथा कम्प्यूटर उपलब्ध होने की दशा में साफ्टवेयर के अनुरूप दवा वितरण केन्द्र का प्रबंधन करे अथवा मेन्यूअल रजिस्टर संधारित करें।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना कर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

विशिष्ठ शासन सचिव,
एवं प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
6. निदेशक, जन–स्वास्थ्य/आर.सी.एच./एच.ए./आई.ई.सी., राजस्थान, जयपुर
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान
9. समस्त संयुक्त निदेशक जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कार्यकारी निदेशक,(प्रशासन)
आरएमएससी